

प्रयत्न,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्ता सचिव,
उत्तर प्रदेश इकाता ।

सेवा में,

श्री
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
मिशन केन्द्र-2 तमसापकेन्द्र,
प्रोत्ति शिक्षा, नईदिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 27 जून 2004

विषय:-

केपी० पब्लिक स्कूलों का संचालन स्टा और सी०पी०ए०के० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषय ।

सहोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कठिन का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०पी०ए०के० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौसापटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद्/बोर्ड/बोर्ड/बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बोर्ड शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बोर्ड/बोर्ड/बोर्ड द्वारा दि डिपेंड्यन स्कूल स्टॉफिफिकेट इकातामिना नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद्/बोर्ड/बोर्ड/बोर्ड की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

Manager
J.P. Public Academy
Kasganj

- 151 संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणत्ता कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेंगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेंगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेंगा ।

भवदीय,


श्याम सुन्दर उन्निवोनी ।
संयुक्त सचिव ।


पृ०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **आगरा ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **एटा ।**
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **डीपीपीआर एडवोकेट जगतगंज, एटा ।**
- 6- गार्ड फुक ।


Manager
J.P. Public Academy
Kasganj

आज्ञा से,

श्याम सुन्दर उन्निवोनी ।
संयुक्त सचिव ।